प्रेषक,

अपर जिला मजिस्ट्रेट,
गोण्डा।

सेवा में,

मा0 कन्सलटेंट जुडिशियल,
एन0जी0टी0,
नई दिल्ली।

संख्या: 2813 / खनन अनुभाग / 2023, दिनांक: नवम्बर 25 ,2023

विषय: ओ0ए0 नं0462 / 2023 राजाराम सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 07–11–2023 के प्रस्तर–12 के अनुपालन में कृत कार्यवाही की सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 07–11–2023 के प्रस्तर–12 में दिये गये आदेश का संज्ञान लेने की कृपा करें जिसके विषयगत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर आवश्यक कार्यवाही कर अन्तरिम आख्या प्रेषित किये जाने के आदेश पारित किये गये है।

अवगत कराना है कि मा0 एन0जी0टी0 द्वारा उपरोक्तानुसार दिये गये आदेश के अनुपालन मे जनपद में तैनात खान निरीक्षक द्वारा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा मे मु0अ0सं0–529 / 2023 दिनांक 24–11–2023 को खान एंव खनिज (विकास एंव विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा–21 एंव भ0द0सं0 1860 की धारा–379 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करा दी गयी है।

अतः मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली के आदेश दिनांक 07–11–2023 के क्रम में खान निरीक्षक द्वारा पंजीकृत करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति संलग्न कर सादर प्रेषित है।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

अपर जिला मजिस्ट्रेट
गोण्डा।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित:–

1–निदेशक , भूतत्व एंव खनिकर्म निदेशालय, खनिज भवन लखनऊ।
2–जिलाधिकारी गोण्डा ।
3–पुलिस अधीक्षक गोण्डा ।
4–सदस्य सचिव,उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ ।
5–मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–6)उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ।
6–क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अयोध्या ।

अपर जिला मजिस्ट्रेट
गोण्डा।

१५५१

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** गोंडा
P.S. (थाना): नवाबगंज **Year (वर्ष):** 2023
FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0529
Date &Time of FIR(प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 24/11/2023 20:24

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	21
2	भा दं सं 1860	379

3.(a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना) :**

1. **Day (दिन):**	शुक्रवार	**Date From (दिनांक से):**	04/08/2023	**Date To (दिनांक तक):**	04/08/2023
Time Period (समय अवधि):	पहर 1	**Time From (समय से):**	00:00 बजे	**Time To (समय तक):**	00:00 बजे

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक): 24/11/2023 Time (समय): 20:24 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.): 078 Date & Time (दिनांक और समय): 24/11/2023 20:24 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): अन्य Beat No. (बीट सं.):
   (b) Address (पता): भिन्न-भिन्न

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):
Name of P.S. (थाना का नाम):
District(State) (ज़िला (राज्य)):

6.Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): श्री विवेक कुमार खान निरीक्षक गोण्डा

(b) Father's/Husband's Name(पिता / पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 2005

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं॰):

(f) Passport No.(पासपोर्ट सं॰):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License, PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	खान निरीक्षक गोण्डा ,गोंडा,उत्तर प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	खान निरीक्षक गोण्डा ,गोंडा,उत्तर प्रदेश,भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-8887534801

7.Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	अज्ञात व्यक्ति नाम पता अज्ञात			1. अज्ञात,अज्ञात

8.Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9.Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू॰डी॰प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. UIDB Number

12.First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर हिन्दी वादी टाइपशुदा .... सेवा में, प्रभारी थानाध्यक्ष नवाबगंज, जनपद गोण्डा । विषयः एफ0आई0आर0 दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु । महोदय, कृपया अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक-एच. ओ2984/सी-6/सा0-791/ओ.ए.नं0-462/2023, दिनांक 16-11-2023 के साथ संलग्नक मा0 न्यायालय एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0संख्या-462/2023 राजाराम सिंह बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07-11-2023 के पैरा -11 में लिखित धाराओं में अवैध खनन किये जाने वाले अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध एफ0आई0आर0दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये थे । उपरोक्त के क्रम में दिनांक 04-08-2023 को अवैध बालू भण्डारण सूचना प्राप्त होने पर राजस्व टीम के द्वारा क्षेत्राधिकारी तरबगंज व तहसीलदार तरबगंज की उपस्थिति मे स्थलीय/अभिलेखीय निरीक्षण किया गया जिसमें 02 अवैध साधारण बालू भण्डारित क्षेत्र की आख्या दी गयी थी तथा भण्डारित साधारण बालू को थाना नवाबगंज की अभिरक्षा में दिया गया था । आख्या उपरांत जिलाधिकारी महोदया गोण्डा द्वारा अवैध भण्डारित बालू की मात्रा की जाँच हेत संयुक्त टीम गठित की गयी जिनके द्वारा स्थलीय क्षेत्र में भण्डारित साधारण बालू के मात्रा की जाँच की गयी थी जाँच रिपोर्ट में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ग्राम नवाबगंज गिर्द व परसापुर में बिना लाइसेंस साधारण बालू का चोरी से खनन कर अवैध भण्डारण किया गया है । ग्राम नवाबगंज गिर्द के गाटा सं0-129 रकबा 1.1606 हे0 जो डी0ए0बी0 इण्टर कालेज के नाम खतौनी में दर्ज है, जिसमें 9337.50 घनमीटर बालू का

चोरी से अवैध खनन कर भण्डारण कर लिया गया है, तथा ग्राम परसापुर के गाटा सं0-1374 रकबा 4.011हे0 जो संक्रमणीय भूमिधर दर्ज खतौनी है जिसमें 4464 घनमीटर साधारण बालू का चोरी से अवैध खनन कर भण्डारण कर लिया गया है। अतः उपरोक्त के संबंध अज्ञात भण्डारणकर्ताओं/खननकर्ताओं के विरुद्ध मा0 न्यायालय एन0जी0टी0 के अनुपालन में खान एंव खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा-21, आई0पी0सी01860 की धारा-379 एंव अन्य सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। हस्ताक्षर अंग्रेजी अपठनीय 24.11.2023 विवेक कुमार खान निरीक्षक, गोण्डा। प्रतिलिपिः-1- जिलाधिकारी महोदया गोण्डा की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित। 2- पुलिस अधीक्षक महोदय गोण्डा को सूचनार्थ आवश्यक एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित। 3-अपर जिलाधिकारी महोदय गोण्डा की सेवा में सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित। खान निरीक्षक गोण्डा। HM/अभियोग पंजीकृत करे। हस्ताक्षर अपठनीय SHO 24.11.2023। नोटः- मैं हे0मो0 जितेन्द्र कुमार पी0एन0ओ0112312028 प्रमाणित करता हूँ कि तहरीर की नकल मेरे द्वारा बोल बोलकर म0का0 शिवानी से कम्प्यूटर पर शिवाय तकनीकि त्रुटि के सही अंकित कराया गया।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. **2** में उल्लेख धारा के तहत है।)

(1) Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): **or** (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Doodhnath Chaturwedi **Rank** (पद): SI (Sub-Inspector)

No. (सं.): 920440418 **to take up the Investigation** (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) **or** (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना):

District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी।)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14 Signature/Thumb impression of the complainant / informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15 Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge
Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name PS NAWABGANJ
Rank I (Inspector)
No. 9454403493